फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री राजेश | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 03/25**

जीसीएमएस : 2025/10

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 02.01.2025

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्राम पंचायत थामला द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.02.2024, प्रार्थीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, गैस डायरी की प्रति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड उदयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति, नरेश, चन्द्रादेवी, राजेश के पेन कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बिल की प्रति, प्रार्थी राजेश की अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम मनोहरलाल अंकित है। तहसीलदार घासा द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर मोहनलाल के बजाय मनोहरलाल संशोधन किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तह. मावली हाल घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 72 भूमि में खातेदार चन्दा पत्नी मोहनलाल, नरेश पिता मोहनलाल, राजेश पिता मोहनलाल के बजाय चन्दा पत्नी मोहनलाल उर्फ मनोहरलाल, नरेश पिता मोहनलाल उर्फ मनोहरलाल, राजेश पिता मोहनलाल उर्फ मनोहरलाल संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(... सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:15 IST
Reason: SelfAttested